न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2019	29.07.2019	02.02.2021

1. राजेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. गुरूदयाल
2. रामकुमार पुत्रान मंगतु जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. हंसराज
4. रोहिताश
5. रोशनलाल पुत्रान सोहन जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. बिशम्बरदयाल
7. गजराज
8. विक्रमसिंह पुत्र देवकरण जाति अहीर जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. सन्तरा देवी पुत्री देवकरण पत्नी बलवन्तसिंह जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर हाल निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
10. पृथ्वीराज दत्तक महेन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. ब्रहमानन्द पुत्र राधेश्याम जाति अहीर निवासी 361 हाउसिंग बोंड भिवाडी जिला अलवर राज0।
12. धर्मपाल पुत्र दौलतराम जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. शिवलाल पुत्र धमेन्द्र नाबालिंग जरिये सरप्रस्त माता सुनीता
14. चेतना पुत्री धमेन्द्र नाबालिंग जरिये सरप्रस्त माता सुनीता
15. सुनीता पत्नी धमेन्द्र जातियान अहीर निवासीयान वार्ड 24 पटेल नगर बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
16. होशियार
17. विरेन्द्र
18. दलीप पुत्र दीनदयाल जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
19. शान्ति पत्नी दीनदयाल जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
20. कौशलया पुत्री बद्री प्रसाद पत्नी दलीपसिह जाति अहीर निवासी हाल बुढवाल तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
21. कबूल पुत्री बद्री प्रसाद पत्नी अशोक जाति अहीर हाल निवासी हाल बुढवाल तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
22. पुष्पा पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी महासिंह जाति अहीर निवासी हाल बुढवाल तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
23. वीरमती पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी सुभाषचन्द जाति अहीर निवासी भिटेडा तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
24. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :– 02.02.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :–
   1. यह है कि वाके ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर में आराजी हाल खसरा नम्बर 478 रकबा 0.32 है0 स्थित है, जो आराजी मिन प्रार्थी के बहामी बंटवारा में हिस्से आयी हुयी है तथा मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज हो रहा है। जिस आराजी पर मिन

२४६ उपखण्डाधिकारी मुण्डावर

प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वो कृषि कार्य हेतु मकानात निर्मित कर रखे है।

2. यह है कि आराजी ख0 न0 478 रकबा 0.32 है0, 532 रकबा 0.34 है0, 477 रकबा 0.29 है0 व अन्य आराजीयत मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण स0 1 ल0 23 की सामलाती कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 23 के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज हो रहा है, लेकिन मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ल0 23 ने आराजी का आपसी तौर पर बहामी बंटवारा किया हुआ है, जिस बहामी बंटवारा में आराजी खसरा नम्बर 478 रकबा 0.32 है0, मिन प्रार्थी के हिस्से व खसरा नम्बर 532 रकबा 0.34 है0, 477 रकबा 0.29 है0, अप्रार्थीगण के हिस्से आयी हुयी है तथा मिन प्रार्थी ने अपने हिस्से आयी आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथ आराजी में अपने कृषि कार्य के उपकरण रखने हेतु मकानात का निर्माण किया हुआ है।

3. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी में व आराजी में बने कृषि उपयोग हे निर्मित मकानात में आने जाने के लिये काई रिर्कोडेड रास्ता नही है, रास्ता नही होने के कारण मिन प्रार्थी अपनी आराजी में टैक्टर, बैलगाडी, ऊटगाडी व अन्य वाहन इत्यादि वो रखी का सामान व साधन लाने, ले जाने में असमर्थ है।

4. यह है कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 532 चादपुर जाने वाले आम रास्ता के साथ लगती हुयी है तथा उक्त खसरा नम्बर 532 के साथ खसरा नम्बर 477 स्थित है तथा मिन प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 532 की पूर्वी डोल के साथ तरफ दक्षिण डोल के साथ अपनी आराजी में आवगमन करता आ रहा है, लेकिन फसल के समय अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 23 जबरन मिन प्रार्थी का रास्ता बन्द कर देते है, जिससे मिन प्रार्थी को आराजी वा मकानात में आने जाने में बॉधा पदा हो जाती है। जिस पर हर बार इस बात को लेकर अप्रार्थीगण से झगडा फिसाद भी होता रहता है। इसलिए आराजी खसरा नमबर 532 व 477 में से 12 फुट चौडा नया रास्ता, मिन प्रार्थी डी.एल.सी रेट की दुगना किमत या रास्ते की भूमि के बदले भूमि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

यह है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मिन प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 478 रकबा 0.32 है0 में वो आराजी में कृषि कार्य हेतु निर्मित मकानात वाके ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर तक तक पहुचने के लिये, मिन प्रार्थी को ख0 न0 532 रकबा 0.34 है0 की पूर्वी डोल के साथ व दक्षिण डोल व खसरा नम्बर 477 की दक्षिणी डोल के साथ वाके ग्राम भीखावास में से 12 फुट चौडा नया रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 02 लगा0 05 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द यादव, अप्रार्थी सं0 13 लगा0 15 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र यादव व अप्रार्थी सं0 7 स्वयं उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नक्शा ट्रेश पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन [illegible] गया, प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–
ग्राम भीखावास का खसरा नम्बर 478 रकबा 0.32 है0 प्रार्थी की खातेदारी कृषि [illegible] है। प्रार्थी खसरा नम्बर 478 में आने–जाने के लिए ख0नं0 532 व 477 में से 12 फुट चौड़ा रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 532 व 477 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 478 में पहुंचने [illegible] लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 478 के चारों तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख0नं0 खसरा नम्बर 478 में आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख0नं0 532 व 477 में से ही उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 478 आवासिय रिहायसी मकान बनाकर रह रहा है। जहां से सम्पूर्ण मौका स्थिति को देखने से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि, प्रार्थी के लिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से, ख0 न0 532 रकबा 0.34 है0 की पूर्वी डोल के साथ व दक्षिण डोल व खसरा नम्बर 477 की दक्षिणी डोल के साथ साथ रास्ता लम्बा होने के कारण

४५६

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर ([illegible]) राज0

आराजी खसरा नम्बर 475 में से 12 फुट चौडा रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने–जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने–जाने, फसल की जुताई–बुवाई–कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 478 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए ख0 न0 475 में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक पूर्वी डोल के साथ साथ कदीम से आता जाता है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 478 की चाही किस्म है।

न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम भीखावास, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि ख0 न0 475 में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक पूर्वी डोल के साथ भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में 12 फीट, प्रार्थी को खातेदारी भूमि ख. नं. 478 के उत्तरी कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में खसरा नम्बर 475 के खातेद्रारान् कि आयी भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुणी राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को उक्त रास्ते में आई खातेदार को आई भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

2/2/21

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बोलकर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0